संख्या: 08/2021/51बीपी / 35-1-2021

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 24 मार्च, 2021

विषय:- बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग की परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग से सम्बन्धित बांदा कृषि विश्व विद्यालय परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की परियोजना हेतु वर्ष 2017-18 में शासनादेश संख्या- 31/2017/111बीपी/35-1-2017, दिनांक 30 नवम्बर, 2017 द्वारा रू. 1874.86 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 749.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या- 27/2018/119बीपी/35-1-2018, दिनांक 03 अक्टूबर, 2018 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 682.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग किया गया। वित्तीय वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या- 11/2019/49बीपी/35-1-2019, दिनांक 13 मई, 2019 द्वारा रू. 350.11 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 तक परियोजना के कार्यों हेतु रू. 1781.11 लाख(लागत का 95 प्रतिशत) की धनराशि का उपयोग विभाग द्वारा कर लिया गया है। विशेष सचिव, कृषि शिक्षा विभाग ने अपने पत्र सं. 25/67-कृ.शि.अ.-21-1500(99)/13 दिनांक 12.01.2021 द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत कार्य का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त थर्ड पार्टी से निरीक्षण कराया गया जिसमें कराये गये कार्य की गुणवत्ता अच्छी होना इंगित किया गया है, कार्य के फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुए परियोजना की अवशेष धनराशि रू. 93.75 लाख अवमुक्त किये जाने की अपेक्षा की गई है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में परियोजना हेतु 5 प्रतिशत अवशेष धनराशि रू. 93.75 लाख (तिरान्वे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/ डाकघर/ पी.एल.ए./ डिपाजिट खाते में नहीं रखा जायेगा।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समय बद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2021 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो उसे दिनांक 31 मार्च, 2021 से पूर्व राजकोष में जमा किया जायेगा।

3- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत/ उपलब्ध हुई है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/ मद में अनुमोदित योजना/ लगाई गई शर्तों का पालन करते हुए सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- विभाग द्वारा राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2021 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-01-कृषि विश्व विद्यालय बांदा परिसर में केन नदी से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं:10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020 दिनांक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिधिानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

संख्या:- 08/2021/51 बीपी (1) /35-1-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग।
6- निजी सचिव, मा. मुख्य मंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम।
8- जिलाधिकारी, बांदा।
9- मुख्य विकास अधिकारी, बांदा।
10- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- कोषाधिकारी, बांदा।
12- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बांदा।
14- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in